

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/21


जयपुर, दिनांक: 30.09.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-


क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	कपिल शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी कार्मिक (क-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध श्री रंगा के स्थान पर
2.	सुरेश अग्रवाल वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध श्री बंशीवाल के स्थान पर
3.	मनोज बंशीवाल, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी, प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध श्री कपिल के स्थान पर
4.	शैलेन्द्र रंगा वरिष्ठ विधि अधिकारी	सहायक विधि परामर्शी कार्मिक (क-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, जोधपुर	सहायक विधि परामर्शी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर
5.	सरोज मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य अभियंता जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर
6.	विधि जोशी कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल, राजस्थान, उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा	वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर
7.	विशाल चौधरी कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग कोटा (स्थानान्तरणाधीन)	वरिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टांक	वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध रिक्त पद पर

आज्ञा से


 (पुरुषोत्तम लाल सैनी)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव